उत्तराखण्ड शासन
वित्त (वे0आ0–सा0नि0)07
संख्या 474/XXVII(7)/2008
देहरादूनः दिनांक 17 दिसम्बर, 2008

कार्यालय ज्ञाप

भौतिक एवं सामाजिक क्षेत्र की अवस्थापना के लिए लोक निजी सहभागिता के प्रोत्साहन हेतु श्री राज्यपाल उत्तराखंड अवस्थापना व्यवहार्यता अनुदान योजना 2008 बनाए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

उत्तराखंड अवस्थापना व्यवहार्यता (वायबिलिटी) अनुदान योजना 2008

1. प्रस्तावना

(एक) भौतिक एवं सामाजिक अवस्थापना परियोजनाओं के विकास के लिए अत्याधिक निवेश की आवश्यकता होती है। केवल राज्य सरकार की बजट व्यवस्था से यह संभव नहीं है। इस कमी को दूर करने और निजी क्षेत्र, निगमित एवं संस्थागत संसाधनों तथा प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन दक्षता का सहयोग प्राप्त करने के लिए निजी सहभागिता के द्वारा भौतिक एवं सामाजिक क्षेत्र की अवस्थापनाओं के विकास के लिए राजस्व अर्जक परियोजनाओं को प्रोत्साहित करने का प्रस्ताव है।

(दो) और, उत्तराखंड शासन की मान्यता है कि दुर्गम क्षेत्रों, सीमित ग्राहकों, परियोजनाओं की लम्बी अवधि और सीमित प्रतिलाभ के कारण अवस्थापना परियोजनाएं हमेशा ही वित्तीय दृष्टि से व्यवहार्य नहीं होतीं। सरकार की सहायता से ऐसी परियोजनाओं की व्यवहार्यता (viability) में सुधार किया जा सकता है।

(तीन) तद्नुसार, उत्तराखण्ड सरकार द्वारा लोक निजी सहभागिता के माध्यम से आरम्भ की गई अवस्थापना परियोजनाओं की व्यवहार्यता (viability) में धन की कमी को पूरा करने के लिये वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से निम्नलिखित योजना लागू करने का निर्णय लिया गया है।

2. संक्षिप्त नाम और विस्तार :–

यह योजना भौतिक एवं सामाजिक क्षेत्र की अवस्थापना के लिये लोक निजी सहभागिता के प्रोत्साहन हेतु उत्तराखण्ड अवस्थापना व्यवहार्यता(viability) अनुदान योजना कहलायेगी। यह एक आयोजनागत परियोजना होगी और इसके लिए वार्षिक योजनाओं में वार्षिक आधार पर समुचित वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी।

3. परिभाषाएं :-

(एक) **'सक्षम प्राधिकारी'** से यथा–स्थिति वित्त मंत्री अथवा मुख्यमंत्री अभिप्रेत है;

(दो) **'सशक्त समिति'** (Empowered Committee) से ऐसी समिति अभिप्रेत है, जिसका अध्यक्ष मुख्य सचिव होगा। प्रमुख सचिव वित्त, सचिव नियोजन और सम्बन्धित प्रशासनिक विभागों के प्रमुख सचिव/सचिव समिति के अन्य सदस्य होंगे;

(तीन) **'पर्वतीय क्षेत्रों'** सें राज्य के निम्नानुसार क्षेत्र अभिप्रेत हैं :-

जनपद पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, चम्पावत, पौडी गढवाल, टिहरी गढवाल, अल्मोड़ा और बागेश्वर का सम्पूर्ण भू–भाग। जनपद नैनीताल (हल्द्वानी व रामनगर विकासखण्ड को छोडकर) तथा जनपद देहरादून (विकासनगर, डोईवाला, रायपुर व सहसपुर विकासखण्ड को छोडकर) इन जनपदों के अन्य सभी पर्वतीय बाहुल्य विकासखण्ड;

(चार) **'मुख्य वित्तीय संस्था (Lead Financial Institution)'** से लोक निजी सहभागिता योजना की वित्त पोषक वित्तीय संस्था अभिप्रेत है तथा यदि वित्त संस्थाओं का कोई संघ है, तो संघ द्वारा इस रूप में पदनामित वित्तीय संस्था अभिप्रेत है;

(पाँच) **'निजी क्षेत्र की कम्पनी'** से ऐसी कम्पनी अभिप्रेत है, जिसमें 51 प्रतिशत या अधिक अभिदत्त एवं प्रदत्त अंश (इक्विटि) किसी निजी संस्था के स्वामित्व एवं नियंत्रण में हों;

(छः) **'निजी क्षेत्र की संस्था'** में निम्नलिखित का समावेश है :- (क) भारतीय कम्पनी अधिनियम के अधीन पंजीकृत ऐसी कम्पनी जिसमें 51 प्रतिशत या अधिक शेयर किसी निजी संस्था के स्वामित्व एवं नियंत्रण में हों;

(ख) सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, 1860 के अधीन पंजीकृत ऐसी कोई सोसाइटी, जो सरकार के नियंत्रणाधीन न हो;

(ग) भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 के अधीन पंजीकृत कोई न्यास जो सरकार के नियंत्रणाधीन न हो;

(सात) **'परियोजना अवधि'** से लोक निजी सहभागिता परियोजना हेतु संविदा अथवा रियायती करार (concession agreement) अभिप्रेत है;

(आठ) **'लोक निजी सहभागिता परियोजना'** से उपभोक्ता प्रभार के भुगतान पर अवस्थापना सेवा अथवा सामाजिक क्षेत्र की सेवा प्रदान करने के लिये सरकार अथवा सांविधिक संस्था और निजी क्षेत्र की संस्था के बीच संविदा या रियायती करार पर आधारित परियोजना अभिप्रेत है;

(नौ) **'कुल परियोजना लागत'** से सरकार/सांविधिक संस्था द्वारा, जिसके स्वामित्व में परियोजना है, आकलित लागत, मुख्य वित्तीय संस्था द्वारा स्वीकृत लागत तथा व्यय की गई धनराशि किन्तु जिसमें किसी भी दशा में सरकार/सांविधिक संस्था (statutory entity) द्वारा व्यय की गई भूमि की लागत सम्मिलित नहीं है, लोक निजी सहभागिता परियोजना की कुल पूंजीगत लागत की निम्नतर लागत अभिप्रेत है;

(दस) **'व्यवहार्यता(viability) अनुदान'** से परियोजना को वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य बनाने के लिये इस योजना के अधीन एकमुश्त या आस्थगित (deferred) या किश्तों मे दिया गया अनुदान अभिप्रेत है;

(ग्यारह) **'भारत सरकार की व्यवहार्यता(viability) अनुदान योजना (2005)'** से अवस्थापना में सहायता हेतु समय–समय पर यथोसंशोधित योजना अभिप्रेत है।

4. पात्रता :–

इस योजना के अधीन वित्त पोषण हेतु पात्रता के लिये लोक निजी सहभागिता परियोजना को निम्नलिखित मानक पूर्ण करने होंगे।

(एक) निजी क्षेत्र की संस्था द्वारा जिसका परियोजना अवधि के लिये खुली प्रतिस्पर्धी बोली (निविदा) प्रकिया के माध्यम से सरकार अथवा सांविधिक संस्था(statutory entity) द्वारा चयन किया जायेगा तथा जिसके द्वारा परियोजना का कार्यान्वयन अर्थात विकास, वित्त पोषण, निर्माण, अनुरक्षण तथा प्रचालन किया जायेगा।

(दो) भारत सरकार की व्यवहार्यता अनुदान योजना के प्राविधानों के अनुसार भौतिक अवस्थापना के लिये लोक निजी सहभागिता योजना में समस्त पात्र क्षेत्रों (सेक्टर) का समावेश होगा, अर्थातः–

(क) सड़कें और पुल, हवाई अड्डे,
(ख) ऊर्जा,
(ग) शहरी परिवहन, जलापूर्ति, स्वच्छता, मल–जल व्यवस्था, ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन और शहरी क्षेत्रों की अन्य भौतिक अवस्थापना,
(घ) विशेष आर्थिक क्षेत्रों/प्रदनामित औद्योगिक क्षेत्रों की अवस्थापना परियोजनाएं, एवं
(ङ) अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन केन्द्रों की तथा अन्य पर्यटन अवस्थापना परियोजनाएं।

(तीन) सामाजिक क्षेत्र की अवस्थापना के लिये लोक निजी सहभागिता परियोजना में निम्नलिखित क्षेत्र शामिल किये जा सकते हैं, अर्थातः–

(क) सामान्य शिक्षा जिसके अन्तर्गत प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा एवं अनौपचारिक शिक्षा को भी सम्मिलित किया जा सकता है,
(ख) तकनीकी शिक्षा,
(ग) खेलकूद एवं युवा सेवाएं,
(घ) कला एवं संस्कृति,
(ङ) चिकित्सा स्वास्थ्य, परिवार कल्याण एवं चिकित्सा शिक्षा,
(च) श्रम एवं रोजगार,
(छ) कृषि सेवाएं, कृषि विस्तार तथा कृषि शिक्षा,
(ज) मृदा एवं जल संरक्षण
(झ) पशुपालन, पशु चिकित्सा तथा पशु विज्ञान शिक्षा,
(ञ) वानिकी तथा वन्य जीव, पर्यावरण संरक्षण,
(ट) लघु सिंचाई,
(ठ) गैर पारम्पारिक ऊर्जा स्रोत,
(ड) शहरी एवं ग्रामीण विकास, और
(ढ) महिला एवं बाल विकास।

उपरोक्त सूची पूर्ण नहीं है। सशक्त समिति इस सूची में किसी क्षेत्र/उपक्षेत्र को सम्मिलित या हटाने के लिये प्राधिकृत होगी।

(चार) परियोजना द्वारा पूर्व निर्धारित दर या उपभोक्ता प्रभार के भुगतान के सापेक्ष सेवा प्रदान करनी होगी।

(पाँच) सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग को कारण सहित निम्नानुसार प्रमाणित करना होगा कि:–

(क) लोक निजी सहभागिता परियोजना के व्यवहार्यता अन्तर को समाप्त करने या कम करने के लिये निर्धारित दर (tariff)/ उपभोक्ता प्रभार (user charge) बढ़ाया नहीं जा सकता।

(ख) व्यवहार्यता अन्तर कम करने के लिए परियोजना अवधि बढ़ाई नहीं जा सकती।

(ग) पूंजीगत लागत युक्तियुक्त है तथा ऐसे मानकों तथा विशिष्टियों पर आधारित है, जो सामान्यतः ऐसी परियोजनाओं पर लागू होती हैं और व्यवहार्यता अन्तर कम करने के लिये पूंजीगत लागत और अधिक सीमित नहीं की जा सकती।

5. **व्यवहार्यता अनुदान हेतु परियोजनाएं तैयार करना:–**

व्यवहार्यता अनुदान हेतु प्रस्ताव सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग द्वारा तैयार किया जायेगा। सरकार द्वारा नियंत्रित स्वायत्त संस्थाओं अथवा शहरी/ग्रामीण स्थानीय निकायों के प्रस्ताव सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग द्वारा विधीक्षित कर प्रस्तुत किये जायेंगे। सशक्त समिति की अनापत्ति प्राप्त करने के लिये प्रस्ताव की चार प्रतियां (हार्ड और सॉफ्ट दोनों प्रकार की) सशक्त समिति द्वारा निहित(prescribed) प्रपत्र में प्रेषित की जानी चाहियें। प्रस्ताव में परियोजना सम्बन्धी समस्त अनुबन्ध पत्र (यथा प्रवृत्त रियायती करार, राज्य की सहायता सम्बन्धी अनुबन्ध पत्र, प्रतिस्थापना अनुबन्ध, तृतीय पक्ष की अभिरक्षा में रखा बन्ध पत्र, विलेख, जमा आदि संगठन एवं पद्धति अनुबन्ध पत्र और अंशधारकों के अनुबन्ध) तथा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट/सम्भाव्यता रिपोर्ट की प्रतियों का समावेश होना चाहिए। इसके अतिरिक्त प्रस्ताव में निम्नलिखित को भी सम्मिलित किया जाए :–

(क) मुख्य वित्तीय संस्था द्वारा किया गया परियाजना का मूल्यांकन,

(ख) प्रस्ताव/परियेाजना के निजी प्रवर्तक तथा चयन प्रकिया का विवरण, एवं

(ग) लोक निजी सहभागिता परियोजना आरम्भ करने के तकनीकी दक्षता में सुधार तथा अन्य फायदों का विवरण।

6. **मूल्यांकन/सम्भाव्यता रिपोर्ट:–**

इस योजना के अधीन परियोजना सम्बन्धी समस्त प्रस्तावों के साथ मुख्य वित्तीय संस्था द्वारा लोक निजी सहभागिता परियोजना की वित्त पोषक वित्तीय संस्था तथा वित्तीय संस्थाओं के संघ (consortium) की दशा में संघ द्वारा इस रूप में पदनामित वित्तीय संस्था द्वारा किया गया परियोजना मूल्यांकन होना चाहिये।

7. **लोक निजी सहभागिता परियोजनाओं के लिये अधिप्राप्ति प्रकिया :–**

निजी क्षेत्र की संस्था का चयन उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 में विहित प्रक्रिया के अनुसार पादरर्शी तथा खुली प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया के माध्यम से किया जायेगा। जहां अन्य सभी प्रतिमान समान हैं, बोली लगाने का मानक निजी क्षेत्र की

संस्था द्वारा परियोजना के कार्यान्वयन के लिये व्यवहार्यता अनुदान की अपेक्षित राशि होगी।

8. **योजना/परियोजना की संस्वीकृति/अनुदानः—**

(एक) व्यवहार्यता अनुदान हेतु प्रस्तुत प्रस्तावों के विचारार्थ एक सशक्त समिति होगी,

(दो) मुख्य सचिव समिति के अध्यक्ष होंगे और उसके निम्नलिखित सदस्य होंगेः—

(क) प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त,

(ख) सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव, एवं

(ग) सचिव नियोजन—सदस्य सचिव।

(तीन) नियोजन विभाग का लोक निजी सहभागिता परियोजना प्रकोष्ठ योजना के लिये सचिवालय के रूप में कार्य करेगा।

(चार) सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग व्यवहार्यता अनुदान हेतु प्रारम्भिक प्रस्ताव तैयार करेगा और सशक्त समिति के विचारार्थ विभाग के लोक निजी सहभागिता परियोजना प्रकोष्ठ को प्रस्तुत करेगा, जैसा कि पैरा 5 में उल्लिखित है।

(पाँच) सशक्त समिति का सचिवालय प्रस्ताव का परीक्षण करेगा और यदि अपेक्षित हो तो, सशक्त समिति द्वारा विचारार्थ पूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिये अतिरिक्त सूचना मांगेगा। यदि प्रस्ताव में पूर्ण सूचना नहीं हैं अथवा सचिवालय द्वारा मांगे जाने के बावजूद अपेक्षित सूचना उपलब्ध नहीं कराई जाती हैं, तो सचिवालय द्वारा सशक्त समिति के अध्यक्ष के अनुमोदन से प्रस्ताव सरसरी तौर पर अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

(छः) सशक्त समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत करने से पूर्व सशक्त समिति सचिवालय वित्त एवं नियोजन विभाग के विचार प्राप्त करेगा।

(सात) सशक्त समिति तत्पश्चात (लोक निजी सहभागिता परियोजना प्रकोष्ठ) नियोजन विभाग तथा वित्त विभाग के विचारों के साथ प्रस्ताव पर विचार करेगी और व्यवहार्यता अनुदान हेतु प्रस्ताव पर अपनी संस्तुतियां करेगी। सशक्त समिति की संस्तुतियां प्राप्त होने के पश्चात व्यवहार्यता अनुदान के 5.00 करोड़ रुपये से कम होने की दशा में वित्त मंत्री का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा और 5.00 करोड़ से अधिक के मामलों में मुख्यमंत्री का अनुमोदन भी प्राप्त किया जायेगा। यदि लोक निजी सहभागिता परियोजना का प्रस्ताव ऐसे सामाजिक क्षेत्र से है जो कि उपरोक्त पैरा 4(तीन) में निर्दिष्ट नहीं है तो सशक्त समिति वित्त मंत्री के अन्तिम अनुमोदन के अधीन प्रस्ताव के गुणावगुण के अधार पर प्रस्ताव पर विचार कर सकती है।

(आठ) समस्त अनुमोदन बजट प्राविधान की उपलब्धता के अधीन होंगे।

9. **व्यवहार्यता अनुदान की सीमा :—**

(एक) भौतिक अवस्थापना परियोजनाओं में व्यवहार्यता अनुदान के सम्बन्ध में राज्य सरकार की सहायता उन परियोजनाओं के लिये केवल अनुपूरक सहायता प्रदान करने तक ही सीमित रहेगी, जो भारत सरकार द्वारा उनकी अवस्थापना में लोक निजी सहभागिता के लिये सहायता योजना जुलाई 2005 (अनुलग्नक) के अधीन अनुमोदित है। ऐसी स्थिति में जहां भारत सरकार परियोजना के व्यवहार्यता के सम्पूर्ण अन्तर की पूर्ति हेतु सहायता प्रदान नही करती, वहां राज्य सरकार कुल परियोजना लागत के अधिकतम 20 प्रतिशत तक अतिरिक्त व्यवहार्यता अनुदान

प्रदान कर सकती है। भौतिक अवस्थापना में व्यवहार्यता अनुदान से सम्बन्धित समस्त प्रस्तावों के साथ उपरोक्त योजना के अधीन भारत सरकार के अनुमोदन संलग्न होने चाहियें।

(दो) सामाजिक क्षेत्रों की लोक निजी सहभागिता परियोजनाओं के मामलों में, जैसा कि पैरा–4(तीन) में इंगित है राज्य सरकार परियोजना–लागत का अधिकतम 33 प्रतिशत (अधिक से अधिक 10.00 करोड़ रुपये) तक व्यवहार्यता अनुदान प्राप्त कर सकती है तथापि पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित परियोजनाओं में अथवा जहां अधिकांश लाभार्थी अनुसूचित जाति / जनजाति के सदस्य हों, सशक्त समिति पृथक–पृथक मामलों में परियोजना लागत का अधिकतम 50 प्रतिशत तक (अधिकतम 15 करोड़) व्यवहार्यता अनुदान की संस्तुति कर सकती है।

(तीन) सशक्त समिति किसी विशेष प्रस्ताव के गुणावगुण के आधार पर 2(एक) में विनिर्दिष्ट आर्थिक सहायता (सब्सिडी) के प्रतिशत की सीमाओं के अन्दर व्यवहार्यता अनुदान की अधिक राशि की संस्तुति कर सकती है तथा यह वित्त मंत्री तथा मुख्यमंत्री के अनुमोदन से संस्वीकृत की जा सकती है।

10. व्यवहार्यता अनुदान का संवितरण:–

(एक) संवितरण (disbursement) पूर्व राज्य सरकार मुख्य वित्तीय संस्था तथा निजी क्षेत्र की संस्था की ओर से इस योजना के प्रयोजन हेतु एक त्रिपक्षीय करार करेगी। ऐसे त्रिपक्षीय करार का प्रारूप समय समय पर सशक्त समिति द्वारा विहित किया जाएगा।

(दो) इस योजना के अधीन व्यवहार्यता अनुदान पृथक–पृथक मामलों में सशक्त समिति द्वारा अवधारित किया जा सकता है। सशक्त समिति / सक्षम प्राधिकारी द्वारा परियोजना के अनुमोदन के उपरान्त, अनुरोध करने पर, आवश्यक धनराशि प्रशासनिक विभाग के निवर्तन पर रखी जा सकता है।

(तीन) इस योजना के अधीन व्यवहार्यता अनुदान ऋण से सम्बद्ध तथा सम्पूर्ण परियोजना हेतु पूंजीगत अनुदान के रूप में होगा और प्रशासनिक विभाग द्वारा तीन किस्तों में अवमुक्त किया जाएगा।

(चार) राज्य सरकार द्वारा पहली किस्त सहायता की 25 प्रतिशत तक प्रवर्तकों द्वारा परियोजना की कुल लागत का 25 प्रतिशत अंशदान तथा निर्दिष्ट भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति के पश्चात, अवमुक्त की जाएगी। 50 प्रतिशत तक सीमित दूसरी किश्त प्रवर्तक द्वारा परियोजना लागत की 50 प्रतिशत राशि के अंशदान के पश्चात राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी। राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सहायता की शेष राशि 25 प्रतिशत की अंतिम किस्त परियोजना के पूर्ण रूप से कार्यशील होने के पश्चात अवमुक्त की जाएगी।

विशेष प्रकृति की परियोजनाओं के लिए सशक्त समिति व्यय के अनुमानों को दृष्टिगत् रखते हुए अनुदान के संवितरण के कार्यक्रम तथा अनुदान की राशि का पुर्नरीक्षण कर सकेगी।

(पाँच) मुख्य वित्तीय संस्था तथा प्रशासनिक विभाग परियोजना के सहमत लक्ष्यों के अनुपालन और कार्य स्तर के नियमित अनुश्रवण और सर्वाधिक मूल्यांकन विशेष रूप से व्यवहार्यता अनुदान की किस्तों के संवितरण के प्रयोजनों के लिए संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे। प्रशासनिक विभाग तथा मुख्य वित्तीय संस्था द्वारा अपेक्षित भौतिक और वित्तीय प्रगति सत्यापित किए जाने के पश्चात

व्यवहार्यता अनुदान की किस्तें अवमुक्त की जाएंगी। मुख्य वित्तीय संस्था को समाधान कर लेना चाहिए कि व्यवहार्यता अनुदान के संवितरण पूर्व निजी क्षेत्र की संस्था द्वारा परियोजना लागत का अपना अंश व्यय कर दिया गया है।

(छः) पूंजीगत अनुदान से भिन्न किसी प्रकार की सहायता के लिए प्रस्ताव पर सशक्त समिति द्वारा विचार किया जा सकता है और पृथक–पृथक मामलों में वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री के अनुमोदन से संस्वीकृत की जा सकती है।

(सात) पात्र परियोजनाओं को बजट उपलब्ध होने पर 'पहले आओ, पहले पाओ' के आधार पर धन उपलब्ध कराया जायेगा। अन्तक्षेत्रिय (sectoral) संतुलन सुनिश्चित करने के लिए व्यवहार्यता अनुदान के अधीन उपलब्ध बजट को क्षेत्रवार नियत करने का अधिकार वित्त विभाग के पास सुरक्षित होगा।

(आठ) परियोजना के कियान्वयन में व्यतिक्रम, निधियों के दुरुपयोग की दशा में अवमुक्त निधि उत्तर प्रदेश लोकधन (देयकों की वसूली) अधिनियम 1972(यथा उत्तराखण्ड राज्य में प्रवृत्त) के अधीन भू–राजस्व के रूप में ब्याज सहित वसूल की जा सकती है।

/

(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव, वित्त।

संख्या 474/XXVII(7)/2008, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1- सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखंड, देहरादून।
2- सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखंड शासन, देहरादून।
3- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखंड शासन, देहरादून।
4- सचिव, विधान सभा, उत्तराखंड, देहरादून ।
5- महालेखाकार, ओबराय बिल्डिंग, सहारनपुर रोड़ देहरादून उत्तराखंड।
6- आयुक्त गढ़वाल मण्डल/कुमाऊँ मण्डल उत्तराखंड।
7- स्टाफ अफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखंड शासन।
8- स्टाफ अफिसर, अपर मुख्य सचिव, उत्तराखंड शासन।
9- समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखंड।
10- समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखंड।
11- सचिवालय के समस्त अनुभाग।
12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Alok Jain

(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव, वित्त।